मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *208
18.12.2025 को उत्तर के लिए

उत्तराखंड में जंगली जानवरों का हमला

208. श्री महेंद्र भट्ट :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य में अनेक नागरिकों पर भालू, बाघ तथा तेंदुए जैसे जंगली जानवरों द्वारा हमले किए गए जिनके परिणामस्वरूप अनेकों मौतें हुईं तथा अनेक लोग घायल हुए;
(ख) क्या सरकार मृतकों एवं घायलों को मुआवजा राशि प्रदान करने पर विचार करेगी; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"उत्तराखंड में जंगली जानवरों का हमला" के संबंध में दिनांक 18.12.2025 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य श्री महेन्द्र भट्ट द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *208 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) उत्तराखंड राज्य सहित देश के विभिन्न भागों से समय-समय पर मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं की सूचना मिलती रहती है। इस संघर्ष में भालू और तेंदुए सहित विभिन्न वन्य पशु शामिल हैं। हालांकि, मानव-पशु संघर्ष को कम करने सहित वन्यजीवों का प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ही मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति में सबसे पहले कार्रवाई करते है तथा ऐसे संघर्ष से संबंधित आंकड़े रखते हैं। ये आंकड़े मंत्रालय के स्तर पर संकलित नहीं किए जाते हैं।

मंत्रालय देश में वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के प्रबंधन के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' और 'बाघ और हाथी परियोजना' के तहत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सहायता प्राप्त कार्यकलापों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की खरीद, जंगली जानवरों को फसल लगे खेतों में प्रवेश करने से रोकने के लिए कांटेदार तार की बाड़, सौर ऊर्जा से चलने वाली बिजली की बाड़, जैव-बाड़, सीमा पर दीवारें आदि जैसी भौतिक बाधाओं का निर्माण और स्थापना, मवेशियों की चोरी, फसल की क्षति, जान-माल की हानि सहित जंगली जानवरों द्वारा किए गए नुकसान के लिए मुआवजा शामिल है। मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए त्वरित कार्रवाई दल भी तैनात किए जाते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने दिसंबर, 2023 में इन योजनाओं के तहत जंगली जानवरों के हमलों से मृत्यु या स्थायी अशक्तता की स्थिति में अनुग्रह राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया, जो इस धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन है, और जिसका भुगतान भी इस संबंध में बनाए गए राज्य विशिष्ट दिशानिर्देशों/उपबंधों द्वारा नियंत्रित होता है।

विवरण नीचे दी गई तालिका में उपलब्ध हैं:

क्र.सं.	**जंगली जानवरों द्वारा किए गए नुकसान की प्रकृति**	**अनुग्रह राहत की राशि**
i.	मृत्यु या स्थायी अशक्तता	10.00 लाख रुपये
ii.	गंभीर चोट	2.00 लाख रुपये
iii.	मामूली चोट	उपचार का खर्च 25,000 रुपये प्रति व्यक्ति तक हो सकता है।
iv.	संपत्ति/फसल की हानि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें अपने द्वारा निर्धारित लागत मानदंडों का पालन कर सकती हैं।
